न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

रेफरेन्स संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/08/2010	16–07–2010	13/06/2018

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बानसूर जिला अलवर।

प्रार्थी

बनाम

1–मतनराम पुत्र श्री घीसाराम जाति बलाई निवासी ग्राम मोरोडी तहसील बानसूर जिला अलवर(मृतक)

1/1 राजबाला पत्नि मतनराम जाति बलाई निवासी ग्राम मोरोडी तहसील बानसूर जिला अलवर(मृतक)

1/2 अनिल पुत्र मतनराम जाति बलाई निवासी ग्राम मोरोडी तहसील बानसूर जिला अलवर(मृतक)

1/3 नितिश पुत्र मतनराम जाति बलाई निवासी ग्राम मोरोडी तहसील बानसूर जिला अलवर(मृतक)

1/4 धोला बाई पुत्री मतनराम पत्नि राजेन्द्र बलाई निवासी ग्राम सालोदरा तहसील नीमकाथाना

1/5 माफी पुत्री मतनराम पत्नि सरजीत बलाई निवासी ग्राम सालोदरा तहसील नीमकाथाना

1/6 बाबू पुत्री मतनराम पत्नि सुभाष बलाई निवासी ग्राम सालोदरा तहसील नीमकाथाना

1/7 मुनेश पुत्री मतनराम पत्नि मनजीत बलाई निवासी ग्राम सालोदरा तहसील नीमकाथाना

1/8 पैना पुत्री मतनराम पत्नि गोपी बलाई निवासी ग्राम सालोदरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज0

2– शिब्बाराम पुत्र घीसाराम जाति बलाई निवासी ग्राम मोरोडी तहसील बानसूर

3– सीताराम पुत्र घीसा जाति बलाई निवासी ग्राम मोरोडी तहसील बानसूर

4– पूर्णचन्द पुत्र घीसा जाति बलाई निवासी ग्राम मोरोडी तहसील बानसूर

अप्रार्थीगण

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)

रैफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

01. श्री प्रभुसिंह –वकील अप्रार्थी

——:: निर्णय ::——

तहसीलदार बानसूर ने यह रेफरेन्स पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 856 रकबा 6.7 है0, मे से 1.00 है0, वाके ग्राम मोरोडी तहसील बानसूर गैरसायल नम्बर 1 लगायत 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। जिसका

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज.)

साबिक खसरा नम्बर 678 रकबा 24 बीघा है जो विवादित है जिसको सरकार के नाम दर्ज किये जाने बाबत निवेदन किया गया है।

तहसीलदार द्वारा निवेदन किया गया है कि विवादित आराजी भू प्रबंध सैटलमेन्ट सम्वत 2059 एवं भू प्रंबध सैटलमेन्ट 2021 मे सिवायचक चारागाह दर्ज किया हुआ है जिसके साबिक खसरा नम्बर सम्वत 2021 से पूर्व खसरा नम्बर 492 रकबा 43.3 बिस्वा है। सम्वत 2021 मे जो हाल खसरा नम्बर कायम किये 678/1 रकबा 24 बीघा है। सम्वत 2059 हाल बन्दोबस्त मे नये नम्बर कायम किये खसरा नम्बर 856 रकबा 6.7 है0 है। गैर सायल नम्बर 1 लगायत 4 ने अपने दावे मे लिखा है कि बलाई अनु0 जाति मे आता है और धानका अनु0 जनजाति में आता है लेकिन अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बानसूर ने जो अनदेखी की है पत्रावली मे ऐसा सबूत नही है जिसमे बलाई दर्ज हो। वादी ने दोनो जातियां किस आधार पर दर्ज की है जो दावें में स्पष्ट नही है। क्योकी दोनो जातियां अलग–अलग है उक्त आराजी रिकॉर्ड में सिवायचक चारागाह दर्ज है। किश्म चारागाह है जिसको बदलने का अधिकार सहायक जिलाधीश को नही था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गलत निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। जमाबन्दी सम्वत 2017 मे खाता नम्बर 46 खसरा नम्बर 492 गैर मुमकीन नला दर्ज है। गैर मुमकीन खसरा नम्बर पर कोई कानूनी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है। जमाबन्दी सम्वत 2013–2016 तक खसरा नम्बर 492 मिन मे विवादित आराजी की किश्म गैर मुमकीन नला है। विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 856 रकबा 6.7 है0 है, जिसमें से गैर सायल 1 लगायत 4 घीसा का कोई ताल्लूक नही है। विवादित आराजी कभी भी कब्जा काश्त नही रही इस आराजी जमाबन्दी सम्वत 2013 मे गैर मुमकीन नला दर्ज है। विवादित आराजी पर गैर मुमकीन नला दर्ज होने के कारण खातेदारी नही दी जा सकती है। गैर सायल नम्बर 1 लगायत 4 खसरा नम्बर 856 मे से 4 बीघा भूमि का खातदारी आदेश दिया गया है। इस बाबत निर्णय दिनांक 09.06.2009 को सहायक जिलाधीश बानसूर द्वारा पारित किया गया है जो खिलाफ कानून ओर खिलाफ मौका है। विवादित आराजी वाद संख्या 87/06 निर्णय दिनांक 09.06.2009 को डिकी किया गया है जो कानूनन गलत है। उक्त आराजी चारागाह आराजी है जो पंचायत के अधीन आती है। गैर सायल नम्बर 1 लगायत 4 ने ग्राम पंचायत को पार्टी नही बनाया है इससे समस्त ग्रामवासियों के हकूक जायल होते है। अतः रैफरेन्स आराजी खसरा नम्बर 856 रकबा 6.7 है0 मे से 1.00 है0 का वाद संख्या 87/2006 सहायक कलक्टर बानसूर निर्णय दिनांक 09.06.2009 के खिलाफ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को वास्ते स्वीकृती हेतु भिजवाया जाये।

वकील अप्रार्थी द्वारा रैफरेन्स प्रकरण मे अंकित बिन्दुओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 492 काफी बडा था, जिसमे काफी लोग काश्त करते थे और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पहले काबिज काश्तकार थे। जिसका इन्द्राज सम्वत 2010 से तात्कालीन राजस्व रिकॉर्ड मे बतोर काश्तकार हमारे पिता घीसा पुत्र नाथा का नाम अंकित है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आने के बाद सम्वत 2013–2016 मे भी बतोर खातेदार पिता घीसा का नाम अंकित है और हमारे पिता की जाति बलाई अंकित है। क्योंकि राजा के जमाने में हमारे पिता बलाई का काम करते थे इसलिए बलाई का इन्द्राज किया गया है, वास्तव में हमारी जाति धानका है। हम घीसा पुत्र नाथा के वारीसान ने सहायक कलक्टर बानसूर के यहां वाद दायर किया था जिसमें जाति के स्थान पर बलाई उर्फ धानका दर्ज है। सम्वत 2021 के बन्दोबस्त से पहले रैफरेन्स मे वर्णित आराजी साबिक खसरा नम्बर 492/1 रकबा 4 बीघा ग्राम मोरोडी हमारे पिता घीसा पुत्र नाथा की कब्जा काश्त खातेदार की आराजी थी। कानून के मुताबिक बन्दोबस्त विभाग रिकॉर्ड में परिवर्तन करने का अधिकार नही होता है।

पुराना रिकॉर्ड बन्दोबस्त में रिपीट करना वाहिए लेकिन बन्दोबस्त मे मौके के खिलाफ खसरा नम्बर 678/1 में सम्मिलित करते हुए सिवायचक गलत दर्ज कर दिया। जबकि रैफरेन्स में वर्णित आराजी पर हम बदस्तूर काबिज है तथा जमाबन्दी सम्वत 2017 के खाता संख्या 46 गलत दर्ज है। हमारे पिता के नाम जो खातेदारी दर्ज थी उसका खाता संख्या 47 है। हमारी 4 बीघा आराजी किश्म भूडदोयम बारानी दर्ज है। गैर मुमकीन नला दर्ज नही सम्वत 2013–2016 की जमाबन्दी मे हमारे पिता के नाम 492 मिन रकबा 4 बीघा बतौर खातेदार दर्ज है। बन्दोबस्त 2021 मे हमे खातेदार का पर्चा दे दिया गया था जिसके बाद सिवायचक दर्ज कर दी गई। गैरसायल संख्या 1 लगायत 4 ने जो दावा सहायक जिलाधीश बानसूर के यहां दर्ज किया था जिसका निर्णय साक्ष्य के आधार पर गुणावगुण को ध्यान में रखकर किया गया था। खसरा नम्बर 492 मिन रकबा 4 बीघा गैर मुमकीन नला नही है बल्कि भूडदोयम बारानी है। इस जमीन को सिवायक दर्ज किया गया है इसलिए हमे दुरूस्त कराने का अधिकार था। ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नही होने के कारण पक्षकार नही बनाया गया। ग्राम पंचायत नांगललाखा के सरपंच ने सन 2007 में अपना अनापत्ती प्रमाण पत्र न्यायालय में दिया था उसमे स्पष्ट अंकित किया है की खसरा नम्बर 678 रकबा 4 बीघा व 678 रकबा 5 बीघा पटवार रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज है और इस भूमि पर 50 वर्षो से घीसा पुत्र नाथा का कब्जा चला आ रहा है। राजस्व वाद संख्या 87/06 जिसका निर्णय सहायक कलक्टर बानसूर द्वारा दिनांक 09.06.2009 को गैर सायल के पक्ष में खातेदार दर्ज करने व रिकॉर्ड दुरूस्त करने का दिया है उसमे कोई त्रुटी नही है। अतः रैफरेन्स प्रकरण खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि जमाबंदी संवत् 2013–2016 में खसरा नम्बर 492 मिन रकबा 43 बीघा 3 बिस्वा घीसा पुत्र नत्था सा0 देह खातेदार रकबा 4 बीघा एवं किस्म भूड दोयम बारानी गै0मु0 नला अंकित है। जमाबंदी सवत् 2017 में खसरा नंबर 492मिन रकबा 4 बीघा किस्म भूड़ दोयम बारानी अव्वल गै.मु. नला अंकित है। सहायक कलक्टर बानसूर द्वारा निर्णय के दौरान नायब तहसीलदार पैरोकार सरकार बानूसर द्वारा पेश किए गए जवाब का अवलोकन किए बिना निर्णय पारित किया गया है जबकि उक्त आराजी संवत् 2013–16 संवत् 2017 में भूड़ दोयम बारानी गै.मु. नला रहा है। जो संवत् 2020 में सैटमेण्ट विभाग द्वारा सिवायचक दर्ज की गई है। आ.ख.नं. 856 रकबा 6.7 हैक्टे. पूर्व ख.नं. 492 का ही पार्ट है। अतः सहायक कलक्टर बानसूर द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत् नहीं है। उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रैफरेन्स मंजूर किया जाकर उक्त भूमि हाल खसरा नम्बर 656 वाके ग्राम मोरोडी तहसील बानसूर जिला अलवर से अप्रार्थीगण का नाम कलमजन कर सिवायचक दर्ज करने की अभिशंषा के साथ माननीय निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भेजा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)